

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 05/10/2016

संख्या-3/टी0-01-08/2015- 584 (3) /स्वा0, डा0 मो0 परवेज अफजल (वरीयता कमांक-4331), चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरुआ, गया को बिहार कोषागार संहिता संशोधन, 2011 के नियम 84 के तहत अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया का भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है। साथ ही डा0 अफजल को उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
3. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/टी0-01-08/2015- 584 (3) /स्वा0, पटना, दिनांक 05/10/2016

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/जिलाधिकारी, गया/क्षेत्रीय अपर निदेशक, मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, गया/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरुआ, गया/डा0 मो0 परवेज अफजल (वरीयता कमांक-4331), चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरुआ, गया/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 7, 8, 9 एवं 10/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव